रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 1994/माघ 18, 1915
No. 58] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 1994/MAGHA 18, 1915

जलभूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1994

सा.का.नि. 70(अ) —महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कंडला पोर्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्मित्त और इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में उपवर्णित कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 1994 अनुमोदित करती है।

2 उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल कंडला पोर्ट कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) विनियम, 1976 को संशोधित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) संशोधन विनियम, 1994 कहे जायेंगे।

2. ये भारत सरकार के राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. कंडला पोर्ट कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम) विनियम, 1976 के विनियम 3, उप-विनियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :—

"3. लागू होने की सीमा :

(1) इन विनियमों में जैसा कि उपबंधित है, तृतीय श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणी अथवा उस पद के समतुल्य पद धारक सभी कर्मचारियों (कार्यप्रभारित और "ए" प्रवर्ग के तटीय कामगार सहित) को अग्रिम दिया जायगा।"

4. विनियम 3, उप विनियम-2(ii) को हटाया जाएगा और विद्यमान उप विनियम (3), (4) और (5) को क्रमशः उप विनियम (2), (3) तथा (4) के रूप में पुनः अंकित किया जाए।

5. विनियम 6(1) में "चार सौ रुपए" शब्द को "एक हजार रुपए" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. पी. आर-12016/15/93-पी ई-1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मुख्य विनियम गुजरात राज्य के राजपत्र में भाग 10(सी) दिनांक 7-4-1977 के अधीन और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नवत् प्रकाशित किए गए :—

सा.का.नि. संख्या 165(अ) दिनांक 10-01-78

सा.का.नि. संख्या 1298 (अ) दिनांक 19-12-86

सा.का.नि. संख्या 725(अ) दिनांक 5-12-91

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 1994

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Festival Advance) Amendment Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations further to amend the Kandla Port Employees (Festival Advance) Regulations, 1976 namely :—

1. These regulations shall be called the Kandla Port Employees (Festival Advance) Amendment Regulations, 1994.

2. These shall come into force from the date of publication of these regulations in the Gazette of India.

3. Regulation 3, sub-regulation (1) of the Kandla Port Employees (Festival Advance) Regulations, 1976 shall be substituted by the following :—

"3. Extent of applications

(1) As provided under these regulations, the advance shall be granted to all employees (including work-charged and 'A' category shore labour) holding Class-III or Class-IV post or equivalent to that post.

4. Regulation 3, sub-regulation 2(*ii*) shall be deleted and the existing sub-regulations (iii), (iv) and (v) shall be re-numbered as sub-regulations (ii), (iii) and (iv) respectively.

5. In Regulation 6 (1) the words "four hundred rupees" shall be substituted by the words "one thousand rupees."

[No. PR-12016|15|93 PE-I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE : Principal Regulations were published in Gujarat State Gazette in Part 10(C) dated 7-4-1977 and subsequent amendment as below :—

GSR No. 165(E) dt. 10-1-78.

GSR No. 1298(E) dt. 19-12-1986.

GSR No. 725(E) dt. 5-12-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994